(16)

प्रकरण क्रमांक : /I–निगरानी/2014

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प–उज्जैन

आवेदक : कैलाशसिंह चौहान पिता घंसीराम जी चौहान, उम्र अन्दाजन 42 वर्ष, धंधा – व्यापार एवं कृषि, पता : गृह क्रमांक 01, क्षपणक मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन

विरूद्ध

अनावेदक : मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, कलेक्टोरेट्, उज्जैन

यशोमति पोरवाल पति रामविलास पोरवाल, उम्र अन्दाजन 60 वर्ष, धंधा – घरूकार्य, निवासी – भोपाल म.प्र

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 48 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदनकर्ता की ओर से निम्नलिखित स्थगन आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत हैं :–

01. यह कि, आवेदक के द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील कैलाशसिंह विरूद्ध यशोमति व मध्यप्रदेश शासन की प्रकरण पत्रिका आहूत की जाकर तत्परता समाहित होने के बावजूद सात दिवस उपरांत प्रदस्त किये जाने की कार्यवाही तथा तहसीलदार सुनील पाटिल द्वारा अतिक्रमण प्रकरण क्रमांक 51/अ–68/2013–14 यशोमति विरूद्ध कैलाशसिंह, की प्रकरण पत्रिका तुरंत आहूत कर कार्यवाही का अवलोकन कर अंतिम आदेश दिनांक 12.09.2014 को अपास्त किये जाने हेतु निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई हैं ।

02. यह कि, आवेदक कैलाशसिंह को नईदुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ हैं कि तेहसीलदार नें कैलाशसिंह की भूमि पर विधिवत् विकसित केसर बाग कॉलोनी की बाउण्ड्रीवॉल तथा प्रवेशद्वार को सक्षम दीवानी न्यायालय का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वर्चस्व में होने के बावजूद हटाए जाने के आदेश दिनांक 12.09.2014 को पारित कर दिये गये हैं । आवेदक को अंदेशा हैं कि उपरोक्त समस्त कार्यवाही राजनैतिक प्रभाव से ग्रसित होकर कैलाशसिंह को नुकसान कारित किये जाने के विद्वेषपूर्ण विचार तथा यशोमति पोरवाल, उसकी पुत्री अथवा उसके पुत्र को कैलाशसिंह द्वारा विकसित कॉलोनी में अवैध आधिपत्य करवाए जाने के दुरूद्देश्य से मिलीभगत कर समस्त कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा हैं । आज तारिख तक भी कैलाशसिंह को अंतिम आदेश दिनांक 12.09.2014 की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई गयी हैं । यहॉ तक कि उपखण्ड पदाधिकारी महोदय, उज्जैन द्वारा आवेदक कैलाशसिंह के त्वरित सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर तक विचार नहीं किया गया एवं प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं प्रदान की गई । आवेदक की निगरनी में समाहित तत्परता के बिन्दु को दृष्टीगत रखते हुए वर्तमान निगरानी याचिका प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति से उन्मुक्ति प्रदान कर ग्रहण श्रवण किये जाना अत्यंत आवश्यक हैं ।

निरंतर पृष्ठ क्रमांक 02 पर

79 78

कैलाश सिंह / प्रकाश (३०५८)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
17-9-14	आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्री एस. एल. पाठक उपस्थित हुए। उन्होंने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया। उनके निवेदन पर प्रकरण Not Press में समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) प्रशा० सदस्य.	

...—320—...—21.9.12—5,000 प्रपत्र